न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी— प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या— 8/2022 प्रार्थना पत्र/251ए. दिनांकः— 27.02.2025

अनवान

1— सूरजमल पिता बृजलाल ब्राहमण नि. उत्तरवाडा तह. बडीसादडी
2— सोहनलाल पिता उंकार लाल डांगी नि. बोहेड़ा तह. बडीसादडी

—प्रार्थीगण

।। बनाम ।।

1— प्रेमचंद पिता उदयलाल जाट नि. अमरपुरा जागीर तह. कानोड़
2— कमला देवी पत्नी प्रेमचंद जाट नि. अमरपुरा जागीर तह. कानोड
3— बाबर लाल पिता शंकरलाल ब्राहमण नि. उत्तरवाडा तह. बडीसादडी
4— सुनिल पिता नन्दलाल ब्राहमण नि. उत्तरवाडा तह. बडीसादडी
5— रामी बाई पत्नी नन्दलाल ब्राहमण नि. उत्तरवाडा तह. बडीसादडी
6— पारस पिता हीरालाल रांका नि. बोहेड़ा तह. बडीसादडी
7— महावीर पिता हीरालाल रांका नि. बोहेड़ा तह. बडीसादडी
8— श्यामलाल पिता भगवतीलाल रांका नि. बोहेड़ा तह. बडीसादडी
9— कृष्णाबाई पिता भगवतीलाल रांका नि. बोहेड़ा तह. बडीसादडी
10— गुणबाला पिता हीरालाल रांका नि. बोहेड़ा तह. बडीसादडी
11— राजेन्द्र बाई पिता भगवतीलाल रांका नि. बोहेड़ा तह. बडीसादडी
12— राधा बाई पिता भगवतीलाल रांका नि. बोहेड़ा तह. बडीसादडी

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ,

उपस्थित— श्री अनिल सोनावा वकील प्रार्थीगण
श्री एम.एच. खान वकील विपक्षी नम्बर 1 से 4 व 8

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में जोडी गई नवीन धारा 251—ए के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात वाके मौजा बोहेडा पटवार हल्का बोहेडा तहसील बडीसादडी में स्थित होकर खाता संख्या 1219 की आराजी खसरा नम्बर 1757 रकबा 0.7500 हैक्ट. भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी क्रमांक 1 सूरजमल पिता बृजलाल जाति ब्राह्मण सा. उत्तरवाड़ा के नाम पर खातेदारी की स्थित है एवं आराजी खाता संख्या 105 की आराजी खसरा संख्या 1756 क्षेत्रफल 0.7100 है0 लागनी 7 रूपया 81 पैसा भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी क्रमांक 2 सोहनलाल पिता उंकार जी जाति डांगी एवं इनके पुत्र किशनलाल पिता सोहनलाल डांगी के नाम पर खातेदारी की स्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.05.16 15:39:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

है। उपरोक्त वर्णित भूमि पर प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण उक्त आराजी भूमि के खातेदार कृषक है। अप्रार्थीगण की आराजी राजस्व ग्राम बोहेडा पटवार सर्कल बोहेडा तहसील बडीसादड़ी में स्थित है, अप्रार्थी कमांक 1 व 2 की आराजी खसरा 1759 रकबा 1. 2600 है0 भूमि, अप्रार्थी कमांक 3 व अप्रार्थी कमांक 4 के पिता एवं अप्रार्थी कमांक 5 के पति श्री नन्दलाल पिता शंकरलाल जी ब्राह्मण सा. उत्तरवाड़ा की संयुक्त आराजी खसरा नं. 1758 रकबा 0. 9600 है0 भूमि तथा अप्रार्थी कमांक 6 से लगायत् 12 की संयुक्त आराजी खसरा संख्या 1766 क्षेत्रफल 1.7500 है0 भूमि अवस्थित है। अप्रार्थीगण उक्त आराजीयात् के खातेदार कृषक है। प्रार्थीण एवं अप्रार्थीगण के खेत पास-पास है तथा दोनों के खेतों की सीमायें एक दूसरे से लगी हुई है। प्रार्थीगण अपने खेतों के उत्तर की दिशा में स्थित मुख्य रोड़ ग्राम बोहेड़ा से उत्तरवाड़ा है उससे अप्रार्थी कमांक 1 व 2 की खातेदारी की आराजी खसरा नं. 1759 के पश्चिम की दिशा की पाली एवं अप्रार्थी कमांक 3,4,5 की खातेदारी की आराजी नं. 1758 की पूर्वी दिशा की मेड पाली पर होते हुए अप्रार्थी कमांक 6 से लगायत् 12 की खातेदारी की आराजी नं. 1766 के पश्चिम की दिशा में मेड पर होते हुये रास्ता जो करीब 20 फिट चौड़ा है उससे अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नं. 1757 व 1756 पर आते-जाते है। इस रास्ते का उपयोग-उपभोग प्रार्थीगण अपने बाप दादाओं के समय से अर्सा कदीम से करते चले आ रहे है एंव हल, बैलगाडी, टेक्टर एवं अन्य कृषि औजार इसी रास्ते से होकर ले जाते लाते आ रहे है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की आराजी पर आने-जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। उक्त रास्ते से प्रार्थीगण वर्षो से आते-जाते रहे है। मौके पर रास्ता कायम है। प्रार्थीगण के खेत में आने-जाने हेतु यही एक मात्र रास्ता है। इसके सिवाय प्रार्थीगण के खेत में आने-जाने का और कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की आराजी पर अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नं. 1759, 1758, 1766 में से होकर आते-जाते है। उक्त रास्ता मौके पर कायम है लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नहीं होने से अप्रार्थीगण कभी-कभी उक्त रास्ते में अवरोध पैदा करते है इसलिये न्यायहित में अप्रार्थी कमांक 1 व 2 की आराजी नं. 1759 के पश्चिम की दिशा की पाली एवं अप्रार्थी कमांक 3, 4, 5 की आराजी नं. 1758 के पूर्व दिशा की पाली तथा अप्रार्थी कमांक 6 से लगायत् 12 की आराजी नं. 1766 के पश्चिम की दिशा की मेड पाली पर स्थित रास्ते को रिकोर्डेड रास्ता दर्ज करवाया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में 20 फिट चौड़ाई का रास्ता विहित प्रावधानों के तहत अंकित करवाया जाना न्यायोचित एवं न्याय संगत है। उक्त खातेदारी की भूमि पर आने-जाने के रास्ते की भूमि को रिकॉर्डेड 20 फिट चौड़ाई का रास्ता अप्रार्थीगण की भूमि से दिलाया जावें तथा प्रार्थीगण न्यायालय के आदेशानुसार उक्त रास्ते की राशि नियमानुसार जमा करवाने हेतु तत्पर है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र से तलब किया गया। विपक्षी नं. 1 से 4 व 8 की ओर [illegible] ने पावर पेश किया। शेष विपक्षीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से एकतरफा [illegible] अमल में लायी गयी। विपक्षी अधिवकता ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। विपक्षी ने अपने [illegible] प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुए जवाब पेश किया कि चरण [illegible] आराजी सं. 1756 एवं 1757 स्थित होना स्वीकार है। आराजी सं. 1756 के सह खातेदार [illegible]लाल को प्रकरण में पक्षकार नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.05.16 15:39:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

बनाया गया हैं और इसके अभाव में वांछित अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। चरण सं. दो में वर्णित अनुसार आराजी सं. 1759 और 1758 अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज होना स्वीकार है और इनके आधिपत्य में है। चरण सं. तीन में वर्णित अनुसार प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण की भूमिया पास-पास स्थित होने का तथ्य विरोधाभासी है क्योंकि प्रार्थीगण की आराजी के उत्तर दिशा में अप्रार्थी सं. तीन लगायत पांच की आराजी सं. 1758 सटमा स्थित है किन्तु अप्रार्थी सं. एक एवं दो की भूमि आराजी सं. 1759 प्रार्थीगण की भूमि के पास स्थित नहीं है। प्रार्थना पत्र की चरण सं. चार में वर्णित अनुसार अप्रार्थीगण की भूमि आराजी सं. 1758 एवं 1759 के मध्य से होकर कोई रास्ता मौके पर विद्यमान नहीं है, ना ही इस रास्ते का उपयोग प्रार्थीगण ने कभी किया है। अरसे कदीम से रास्ता विद्यमान होने और बाप दादाओं के समय से उपयोग करने का तथ्य पूरी तरह असत्य एवं आधारहीन होकर अस्वीकार है। वास्तविकता यह है कि अप्रार्थी सं. एक व अप्रार्थी सं. तीन से पांच की भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित आराजी सं. 1694 के उत्तर पश्चिम कोने पर स्थित मुख्य रास्ते से आराजी सं. 1694 की पश्चिमी सीमा से होकर आगे आराजी सं. 1695 की उत्तरी सीमा पर होते हुए प्रार्थीगण अपनी भूमि में आते-जाते है और यही मोके पर प्रचलित रास्ता है। यहां यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि आराजी सं. 1695 का प्रार्थी संख्या एक स्वंय खातेदार भी है और यह तथ्य प्रार्थीगण ने जानबूझकर छिपाया है जबकि प्रार्थी की आराजी सं. 1656 और 1657 के पश्चिमी दिशा में प्रार्थी सं. एक की ही सह खातेदारी की आराजी सं. 1695 सटमा स्थित है और 1695 के खातेदारान आराजी सं. 1694 की पश्चिमी सीमा से होकर मुख्य रोड़ तक आते जाते है। प्रार्थी सं एक कपट पूर्वक अपनी भूमि में से रास्ते हेतु भूमि कम नहीं करना चाहता है और अप्रार्थीगण को भूमि के रकबे और उपजाउपन को नुकसान पहुचाते हुए रास्ता क्लेम कर रहा है। प्रार्थना पत्र की इस चरण में प्रार्थी ने मोके पर रास्ता कायम होना बताया है जबकि पटवार हल्का की रिपोर्ट में स्पष्ट जाहिर है कि ऐसा कोई रास्ता मौके पर कायम और मौजूद नहीं है। अतः प्रार्थीगण की असत्यता प्रमाणित है और सद्भावी रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं होने से खारिज योग्य रहता है। चरण सं. पांच में वर्णित तथ्य असत्य एवं अस्वीकार है जो प्रस्तावित रास्ता प्रार्थना पत्र में क्लेम किया गया है, वह ना तो मोके पर मौजूद है, ना कभी रास्ते के रूप में उपयोग किया गया है। इसके विपरित मौके पर आराजी सं. 1694 के उत्तर-पश्चिमी कोने से और आराजी सं. 1759 के पूर्वी दिशा से होकर अन्दर की ओर आराजी सं. 1766 की ओर जाता हुये यह दो विभिन्न रास्ते मोके पर उपलब्ध है। और इन्हीं रास्तों का उपयोग खातेदारान द्वारा किया जाता है किन्तु अप्रार्थीगण की आराजी 1758 एवं 1759 के मध्य में से होकर कोई रास्ता विद्यमान नहीं रहा है ओर ना ही प्रदान किया जा सकता है। चरण संख्या छह में वर्णित तथ्य मौके की स्थिति के विपरित होकर अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र में क्लेम किया गया रास्ता ना तो मोके पर मौजूद रहा हैं, ना रिकॉर्ड में दर्ज है और ना ही ऐसे काल्पनिक रास्ते को रिकॉर्ड में दर्ज किया जा सकता है। मौके की स्थिति के सेटेलाइट मेप (गूगल मेप) की कलर प्रिंट जबाव के साथ संलग्न की जा रही है। जिससे [illegible] होता है अप्रार्थीगण की आराजी सं. 1758 व 1759 के मध्य कोई रास्ता विद्यमान नहीं [illegible] बल्कि आराजी सं. 1694 के उत्तर-पश्चिम कोने व आराजी सं. 1759 के उत्तर-पूर्वी कोने [illegible] होकर अन्दर की और जाते हुए रास्ते स्पष्ट जाहिर हो रहे है। इस प्रकार प्रार्थीगण ने जो [illegible] किया है, वह उसे प्राप्त करने के अधिकारी नहीं रहते है। चरण सं. आठ में वर्णित अनुसार रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.05.16 15:39:28 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण नहीं है। मौके पर अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है। क्लेम किया गया रास्ता दिलाया जाने से अप्रार्थीगण को अधिक तुलनात्मक क्षति कारित होती है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य रहता है। चरण सं. नौ में वर्णित तथ्य पूर्णतः असत्य एवं अस्वीकार है। मौके पर अप्रार्थीगण के खेत से होकर कोई रास्ता मौजूद नहीं है, ना पूर्व में रहा है। पूर्व में प्रार्थीगण आराजी सं. 1694 और अपने स्वंय की 1695 से होकर आते–जाते थे और आज भी इसी रास्ते से आते–जाते है। अतः प्रार्थीगण को किसी प्रकार के नुकसान का कोई अंदेशा नही है। इसके विपरित यदि प्रार्थीगण द्वारा क्लेम किया गया रास्ता मंजूर किया जाता है तो अप्रार्थीगण को उनकी उपजाउ भूमि के हिस्से से अकारण वंचित होना पड़ेगा और उन्हें अधिक तुलनात्मक क्षति कारित होगी। जिसका पैमाना बाजार दर की राशि नहीं हो सकती है। अप्रार्थीगण की भूमियों में यह प्रस्तावित रास्ता मंजूर होने पर अनजाने व्यक्तियों एवं मवेशियों का आना जाना और हस्तक्षेप बढेगा और अप्रार्थीगण की भूमियां असुरक्षित होकर अवैध नुकसान के अधीन रहेगी। अतः सभी दृष्टि से प्रार्थना पत्र असत्य एवं असद्भावी होकर खारिज किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत रहता है। न्याय निर्णय के बिन्दु तक पहुचने हेतु मौका एवं राजस्व रिकार्ड की वस्तुस्थिति को रिकार्ड पर लिये जाना उचित होने से तहसीलदार बडीसादड़ी को मौका कमीशनर नियुक्त जाकर मौका रिपोर्ट तलब की गई ।

पैरोकार सरकार व कमीशनर तहसीलदार बडीसादड़ी द्वारा न्यायालय हाजा में मौका कमीशनरी रिपोर्ट जो कि भू0अ0नि0 बोहेडा व पटवारी हल्का बोहेड़ा द्वारा दिनांक 28.11.2022 को मुर्तिब की गई को उचित कार्यवाही हेतु अपने पत्र संख्या 565 दिनांक 28.11.2022 को अग्रेषित की गई । जिसमें वर्णित किया गया है कि ग्राम बोहेड़ा के मौके अनुसार बिलानाम रास्ता आराजी नम्बर 1692 के दक्षिण दिशा की तरफ खातेदारी आराजी नम्बर 1758 के दक्षिण में प्रार्थीगणो की आराजी नम्बर 1756, 1757 स्थित है। उक्त आराजीयात पर पहुंच हेतु आराजी नम्बर 1758 की पूर्वी मेड एवं आराजी नम्बर 1759 व 1766 की पश्चिमी मेड पर रास्ता चाहा गया है। उक्त रास्ते हेतु आराजी नम्बर 1758 व 1766 की पश्चिमी मेड पर रास्ता चाहा गया है। उक्त रास्ते हेतु आराजी नम्बर 1758 में से 126 गुणा 3 = 378 क्षेत्रफल बनता है। आराजी नम्बर 1759 में से 80 गुणा 3 =240 क्षेत्रफल बनता है । तथा नक्क्षा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शा दिया गया है मौके पर प्रार्थीगणो की आराजीयात पर पहुंच की कोई रास्ता नहीं है। तथा आस–पास के खातेदारो की आराजीयात में से होकर आते जाते है। प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी का है रास्ता दिलाया जाना उचित है। वर्तमान में ग्राम बोहेड़ा की सिंचित पास की डी.एल.सी. दर 1326082 एवं सिंचित दर की डी.एल.सी. 271787 रू प्रति बीघा है।

अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं अधिवक्ता विपक्षीगण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि प्रार्थीगण की आराजीयात पर पहुंच मार्ग हेतु कोई रिर्कोडेड मार्ग नहीं है तथा विपक्षीगण की आराजीयात में से कदीम से आ जा रहें है इसके अतिरिक्त अन्य कोई [illegible] नहीं है । अतः प्रार्थीगण की आराजीयात पर पहुंच मार्ग हेतु कदीमी मार्ग को रास्ता [illegible] रूप [illegible] राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जावें। इसके विपरीत विपक्षी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में [illegible]र किया कि किशनलाल जो कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.05.16 15:39:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बडीसादड़ी

सहखातेदार को वकील प्रार्थी ने पक्षकार नहीं बनाया जाने से प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। तथा अपना जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र को खारीज करने का निवेदन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं कमीशनरी रिपोर्ट का अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 1756, 1757 पर पहुंच मार्ग हेतु रिर्कोडेड मार्ग उपलब्ध नहीं होना प्रमाणित है तथा इस आराजीयात पर पहुंचने हेतु विपक्षीगण की आराजी नम्बर 1758 की पूर्वी मेड एवं 1759 की पश्चिमी मेड में से होकर जाने के लिए वांछित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण आवागमन हेतु वास्तविक स्थाई रास्ता चाहते है। तहसीलदार बडीसादडी की रिपोर्ट अनुसार उक्त रास्ता न्यूनतम दूरी पर है। चूंकि वकील विपक्षी अपनी बहस में बताया कि सहखातेदार किशनलाल को पक्षकार नहीं बनाया है। जो कि एक निराधार कथन है क्योंकि उक्त सार्वजनिक रास्ते का उपयोग सभी सहखातेदार कर सकते है।

प्रस्तुत कमीशनरी रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण की जोत पर पंहुच मार्ग का अभाव होना पूर्णतया साबित है। राजस्व ग्रुप–6 विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक पं.2 (63) राज. 9/20.14 जयपुर दिनांक 20–9–2014 एवं परिपत्र क्रमांक प.3(52) राज.6/2012/4 जयपुर दिनांक 14–1–2014 के अनुसरण में संबंधित खातेदार को अपनी आराजीयात /खेतों पर पहुंच के लिए रास्ता गुजरता है या नवीन रास्ता प्रस्तावित है तो रास्ते में आने वाली भूमि का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत समर्पण किया जाकर रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाता है यदि ऐसे प्रस्तावित रास्ते के बीच में यदि कोई भूमि पडती है तो खातेदार अपनी जोत तक नया मार्ग कायमी हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क में प्रावधान किया गया है। खातेदार की जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव होने की स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम 2014 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि की दरों का दुगना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जाने के प्रावधान किये गये हैं चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 1756, 1757 पर पहुंचने के लिए विपक्षीगण की आराजी नम्बर 1758, 1759 पडती है जिसका तहसीलदार बड़ीसादड़ी द्वारा कमीशनरी रिपोर्ट में मार्ग प्रस्तावित किया गया है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 251–ए निम्न शर्तो के अध्यधीन स्वीकार किया जाता है –

1. ग्राम बोहेड़ा पटवार हल्का बोहेड़ा की खसरा संख्या 1756, 1757 भूमि पर पहुच मार्ग का अभाव होने से वैकल्पिक मार्ग के रूप में उक्त आराजी के पड़ोस की विपक्षीगण की आराजी नम्बर 1758 में से 126 गुणा 3 = 378 क्षेत्रफल बनता है। आराजी नम्बर 1759 में से 80 गुणा 3 =240 क्षेत्रफल [illegible] भूमि का रास्ता निम्न प्रकार कमीशनरी रिपोर्ट एवं नक्शे अनुसार अवाप्त [illegible] र राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक रास्ता के रूप में दर्ज किये [illegible] का आदेश दि[illegible] जाता है। जिसे रास्ते हेतु अवाप्त की जाकर राजस्व रेकार्ड में रास्ता अंकित किया [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.05.16 15:39:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

2. रास्ते हेतु अवाप्त की जाने वाली उक्त वर्गमीटर भूमि का वर्तमान प्रचलित बाजार दर 1326082/—रूपये प्रति बीघा एवं सिंचित दर 271787/— से मूल्याकंन तहसीलदार बड़ीसादड़ी द्वारा अपने स्तर पर आंकलन कर बनने वाली भूमि कीमत की दुगुनी राशि प्रार्थीगण से वसूल कर हितबद्व खातेदारान् को क्षतिपूर्ति राशि के रूप में नियमानुसार संदाय किये जाने के उपरान्त ही उक्त भूमि का राजस्व रेकार्ड में अमल किया जा सकेगा। यदि वर्तमान में डी.एल.सी. दर में परिर्वतन हो गया है तो उसी अनुसार डी.एल.सी. दर वसूल की जावे।

3. रास्ता हेतु प्रयुक्त होने वाली भूमि पर प्रार्थीगण का एकाधिकार नहीं होकर सार्वजनिक हितार्थ होगा तथा इस संबंध में प्रार्थीगण को रास्ते की भूमि के स्वामित्व के अधिकार प्रोद्‌भूत नहीं होगें।

निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बड़ीसादड़ी को उक्तानुसार रास्ते हेतु भूमि अवाप्त की जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाने प्रेषित की जावे । निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर दिनांक 27.02.2025 को सुनाया गया ।

(प्रवीण कुमार मीणा) आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.05.16 15:39:28 IST
Reason: SelfAttested